

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.03.2023

थाना तरबगंज पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.03.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त रामकिशुन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वादिनी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए जान से मार दिया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामकिशुन पुत्र राम लगन नि० शिवलालपुरवा डिडिसियाकला थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-491/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० संदीप वर्मा मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 23.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

08 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को० नगर पुलिस ने 04 वारण्टी, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01, थाना मनकापुर पुलिस ने 01, थाना करनैलगंज पुलिस ने 01 व थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. भरत सोनकर पुत्र गया प्रसाद सोनकर नि०ग्राम खटिकन पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-92/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.03.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर राधा स्वामी सतसंग भवन के पास से अभियुक्त सुभाष निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुभाष निषाद पुत्र श्री राम गुलाम निवासी वजीराबाद कटरा भोगचंद थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-139/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-139/23, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय मय टीमा।